राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 37/2018

1. शान्ति बाई पत्नि स्व0 श्योपाल जाति मेर निवासी बोहत तहसील मांगरोल
2. भैरूप्रकाश पुत्र
3. आकाश पुत्र
4. मीना पुत्री
5. ज्योति पुत्री

–वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र श्रीया जाति मेर निवासी बोहत हाल रामपुरा कोटा
2. श्रवण कुमार पुत्र
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

–प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट0**

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 21.05.2018 — निर्णय दिनांक : 25.06.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोहत में खाता संख्या 787 खसरा नं0 258/3121 रकबा 0.10 है0 खसरा नं0 2589 रकबा 1.59 है0, खसरा नं0 889 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 892 रकबा 0.44 हे0, खसरा नं0 894 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 895 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 896 रकबा 0.23 है0 कुल किता 7 रकबा 2.85 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3 निहित है। वादीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादीगण कम 1 व 2 भी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है अतः ग्राम बोहत में खाता संख्या 787 खसरा नं0 258/3121 रकबा 0.10 है0 खसरा नं0 2589 रकबा 1.59 है0, खसरा नं0 889 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 892 रकबा 0.44 हे0, खसरा नं0 894 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 895 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 896 रकबा 0.23 है0 कुल किता 7 रकबा 2.85 है0 में स्थित वादीगण का हिस्सा 1/3 पृथक किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दंर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 21.05.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 ने राजस्व लोक

केम्प बोहत दिनांक 25.06.2018 को मजमे आम उपस्थित होकर एक राजीनामा पत्र प्रस्तुत किया के अनुसार

01. ग्राम बोहत में खाता संख्या 787 खसरा नं0 258/3121 रकबा 0.10 है0 खसरा नं0 2589 रकबा 1.59 है0, खसरा नं0 889 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 892 रकबा 0.44 हे0, खसरा नं0 894 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 895 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 896 रकबा 0.23 है0 कुल किता 7 रकबा 2.85 है0 में हमारा हिस्सा 2/3 दर्ज है व वादीगण का हिस्सा 1/3 दर्ज है।

02. यह कि हम प्रतिवादी कम 1 व 2 वादीगण के ग्राम बोहत की खाता संख्या 787 खसरा नं0 259 रकबा 1.59 है0 में से 0.86 है0 वादीगण का हिस्सा 1/3 अनुसार दर्ज रेकार्ड पृथक खाते दर्ज कर दी जावे। इसमें हमको कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न राजीनामा अनुसार ग्राम बोहत की खाता संख्या 787 खसरा नं0 259 रकबा 1.59 है0 में सें 0.86 है0 आराजी वादीगण का हिस्सा 1/3 पृथक से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प बोहत मजमेंआम में सुनाया गया।